

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
माह नदी भवन नया रायपुर

28 JUN 2013

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011

नया रायपुर, दिनांक

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. समस्त संभागीय आयुक्त,
5. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:- छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) तथा उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम, 2011 का प्रकाशन ।

—00—

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, में नई सेवाओं को शामिल करने के संबंध में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.05.2013 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(वाय0पी0दुपारे)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
नया रायपुर, दिनांक

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011,
प्रतिलिपि:-

28 JUN 2013

1. महमहिम राज्यपाल के सचिव राजभवन रायपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, मान0 उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
4. मुख्य सचिव, मान0 मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर
5. प्रमुख सचिव, मान0 मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ मंत्रालय रायपुर
6. निज सचिव, निज सहायक, माननीय मंत्रीगण तथा संसदीय सचिवगण, रायपुर
7. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर ।

की ओर अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

सचिव /

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग



YVS
2/7/13

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 मई 2013—ज्येष्ठ 7, शक 1935

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4-124/सात-3/2011/दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 के संलग्न अनुसूची के सरल क्रमांक-06 के नीचे निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है, अर्थात् :—

स. क्र.	कार्यालय/ निकाय/अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	तहसील कार्यालय	अस्थाई जाति प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	कलेक्टर
8.	तहसील कार्यालय	स्थाई जाति प्रमाण-पत्र	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	कलेक्टर	कमिश्नर